कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक–21.12.2021

विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक दिनांक 21.12.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें :–

अध्यक्ष

प्रो0 नीलिमा सिंह
माननीया कुलपति
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

2. **डॉ0 नरेन्द्र नाथ (ऑनलाइन)**
कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद्

सदस्य

3. **श्री जयन्त कुमार विजयवर्गीय**
राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद्

सदस्य

4. **डॉ0 गोपाल सिंह (ऑनलाइन)**
राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद्

सदस्य

5. **प्रो0 आशुरानी**
अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, रसायन शास्त्र

सदस्य

6. **डॉ0 ज्ञानेश्वर मीणा**
अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली

सदस्य

7. **डॉ0 अनिता सुखवाल**
अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय
सह–आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

8. डॉ0 चन्द्रजीत सिंह
अधिष्ठाता, विधि संकाय
प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा

सदस्य

9. डॉ0 अनिता कोठारी
अधिष्ठाता, कला संकाय
प्राचार्य, राजकीय जे.डी.बी. कन्या महाविद्यालय,
कोटा

सदस्य

10. डॉ0 सुषमा सिंह
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
प्राचार्य, जे.एल.एन. टी.टी. महाविद्यालय,
कोटा

सदस्य

11. प्रो. रीना दाधीच
कुलपति द्वारा नाम नामित सदस्य

सदस्य

12. डॉ0 नीलू चौहान
कुलपति द्वारा नाम नामित सदस्य

सदस्य

13. प्रो. एन.के. जैमन
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भौतिक विज्ञान

सदस्य

14. डॉ. विनीता शुक्ला
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अंग्रेजी

सदस्य

15. डॉ. नादीरा खातून
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, उर्दू

सदस्य

16. डॉ0 सूर्य प्रकाश नापित
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, हिन्दी

सदस्य

17. डॉ0 हासो दादलानी
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, सिन्धी

सदस्य

18. डॉ0 शालिनी भारती
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, आरेखन एवं रंगाकन

सदस्य

19. डॉ0 अंजू कपूर
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, वनस्पति शास्त्र

सदस्य

20. डॉ. सुनिता यादव
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, संस्कृत

सदस्य

21. डॉ. रोशन भारती
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, संगीत

सदस्य

22. डॉ0 एम.जेड.ए. खान
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भूगोल

सदस्य

23. श्री ए.ए. हनफी
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, इतिहास

सदस्य

24. श्रीमती मीरा गुप्ता
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अर्थशास्त्र

सदस्य

25. डॉ0 फूल सिंह गुर्जर
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, राजनीतिक विज्ञान

सदस्य

26. डॉ0 रीना खनूजा
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गृह–विज्ञान

सदस्य

27. डॉ0 अनिल कुमार पारीक
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, लोक प्रशासन

सदस्य

28. डॉ0 अरूण कुमार
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गणित

सदस्य

29. डॉ0 फातिमा सुल्ताना
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, प्राणी शास्त्र

सदस्य

30. डॉ0 राजेश शर्मा
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ई.ए.एफ.एम.

सदस्य

31. डॉ0 मनीषा शर्मा
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, व्यावसायिक प्रशासन

सदस्य

32. डॉ0 अशोक कुमार गुप्ता
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ए.वी.एस.टी.

सदस्य

33. डॉ0 सपना जोशी
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, शिक्षा

सदस्य

34. डॉ0 महेन्द्र सिंह मीणा
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, विधि

सदस्य सचिव

35. डॉ. आर.के. उपाध्याय
कुलसचिव

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ; आयुक्त, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा; डॉ0 अनिता तम्बोली, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, समाज शास्त्र एवं डॉ. इरफान अहमद, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, दर्शन शास्त्र बैठक में उपस्थित नही हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया।

इसके पश्चात् विद्या–परिषद् की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा विधिवत रूप से प्रारम्भ हुई :–

मद संख्या– 1	:	**विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक दिनाँक 25.08.2020 व 18वीं विशेष बैठक दिनांक 11.01.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक दिनाँक 25.08.2020 व 18वीं विशेष बैठक दिनांक 11.01.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोंदन किया गया।
मद संख्या– 2	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनाँक 25.08.2020 व 11.01.2021 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	विद्या परिषद की बैठक दिनांक 25.08.2020 व 11.01.2021 की क्रियान्विति रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया

मद संख्या 3	:	माननीय कुलपति महोदय के निम्न आदेशों को रिपोर्ट करना। 1. वर्ष 2020 व 2021 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी आदेश। 2. विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन संबंधी आदेश। 3. विधि व कला संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति संबंधी आदेशों का अनुमोदन। 4. कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत, गत सत्र 2020–21 के पाठ्यक्रम निर्माण समिति (BOS / COC) द्वारा updated पाठ्यक्रमों को यथावत ही सत्र 2021–22 हेतु लागू करने संबंधी आदेश।
निर्णय	:	माननीय कुलपति महोदय द्वारा क्र.सं. 1, 3 व 4 में लिए गए आदेशों को सदन द्वारा पारित किया गया। उक्त मद के क्र.सं. 2 जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों के अनुमोदन के संबंध में डॉ. गोपाल सिंह, माननीय सदस्य द्वारा पाठ्यक्रम समिति में सदस्यों की निर्धारित संख्या, संयोजक की नियुक्ति तथा सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी चाही गई। सदस्य सचिव द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया। डॉ. गोपाल सिंह, माननीय सदस्य द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठकों में सदस्यों द्वारा अन्य नए सदस्यों को सम्मिलित करने की अनुशंषाओं पर आपत्ति व्यक्त कि गई। पाठ्यक्रम निर्माण समिति में नए सदस्यों को सम्मिलित करने के अधिकार कुलपति का ही होता है तथा पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा प्रस्तावित करने की परंपरा अनुचित है। अतः पाठ्यक्रम समिति के कार्यवृत्तों से नए सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अनुशंषाओं को हटाते हुए समस्त कार्यवृत्तों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 4	:	**परीक्षा वर्ष 2019 की समस्त उपाधियों का "ग्रेस पास" किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	परीक्षा वर्ष 2019 की विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल अभ्यर्थियों की उपाधियों तथा शोध उपाधियों (कुल उपाधियां 66274) का "ग्रेस पास" सदन द्वारा किया गया।
मद संख्या 5	:	**विश्वविद्यालय परिसर में कम्प्यूटर साईंस विभाग में नवीन पाठ्यक्रम–Integerated MCA को प्रारंभ किये जाने के सबंध में निर्णय लेना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में नवीन पाठ्यक्रम को प्रारंभ किये जाने के संबंध राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.11.2020 पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा विश्वविद्यालय परिसर

		में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र है। चूंकि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों का वित्तीय भार विश्वविद्यालय के स्वयं के आय स्त्रातों से ही वहन होता है तथा राज्य सरकार से कोई आर्थिक सहयोग इस बाबत् प्राप्त नहीं होता है। अतः उक्त पत्र के बिन्दु सं. 5 में उल्लेखित कि नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किए जाने हेतु राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता, को उचित न मानते हुए विश्वविद्यालय परिसर में नवीन पाठ्यक्रम Integerated MCA को सत्र 2022–23 से प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त मद के व्याख्यात्मक टिप्पणी में उल्लेखित–"उक्त पाठ्यक्रम के संचालन में कोई अतिरिक्त infrastructure तथा cost की आवश्यकता नहीं होगी" को विलोपित माना जाए तथा उक्त पाठ्यक्रम का निर्माण व प्रणाली NEP-2020 के आधार पर रखे जाने की अनुशंषा भी की गई।
मद संख्या 6	:	**विश्वविद्यालय के खेल विभाग में कार्यरत खेल प्रशिक्षक (एजेंसी के माध्यम से) के मानदेय की वृद्धि बाबत्।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय के खेल विभाग में कार्यरत खेल प्रशिक्षक (एजेंसी के माध्यम से) के मानदेय की वृद्धि संबंधी प्रस्ताव विश्वविद्यालय के खेल मण्डल में विचारार्थ रखा जावे तथा प्राप्त अनुशंषाओं को सक्षम स्तर से स्वीकृत करवा कर लागू करने की अभिशंषा की गई।
मद संख्या 7	:	**विश्वविद्यालय में संचालित M.Sc. Wildlife Science पाठ्यक्रम की समन्वयक द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में नवीन पाठ्यक्रम– P.G. Diploma in Applied Reptilian Science को सत्र 2021–22 से प्रारंभ किये जाने के संबंधी प्रस्तावों में निर्णय लेना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम– P.G. Diploma in Applied Reptilian Science को सत्र 2022–23 से प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। डॉ. राजेश शर्मा, माननीय सदस्य द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के नामकरण से "Applied" शब्द को हटाने का सुझाव दिया। विद्या परिषद द्वारा उक्त विषय की पाठ्यक्रम समिति में प्रस्तावित पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली आदि नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के आधार पर पुर्नविचार करने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या 8	:	**प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 05.04.2021 की पालना में विश्वविद्यालय में 'आनन्दम' पाठ्यक्रम को लागू किये जाने के संबंध में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	'आनन्दम्' पाठ्यक्रम को लागू किये जाने के संबंध में बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों के ज्ञापन, शैक्षणिक स्टॉफ की कमी, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार, स्वयंपाठी विद्यार्थियों पर लागू किया जाना संभव नहीं, के दृष्टिगत, आनन्दम् पाठ्यक्रम को लागू न किए जाने की सर्वसम्मति से माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंषा की गई। अतः उक्त पाठ्यक्रम को लागू न किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 9	:	**विश्वविद्यालय स्तर पर लोक देवता बाबा रामदेव जी के इतिहास एवं साहित्य को उच्च शिक्षा में सम्मिलित करवाये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्रांक प. 18(5)/शिक्षा–4/2019(mopt) दिनांक 29.10.2021 विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय स्तर पर लोक देवता बाबा रामदेव जी के इतिहास एवं साहित्य को इतिहास विषय में सम्मिलित करने हेतु इतिहास विषय की पाठ्यक्रम समिति में विचारार्थ व अग्रिम कार्यवाही संबंधी सुझाव प्राप्त करने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या 10	:	**विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैक्ल्टी के रूप में लेने के लिए 'विद्या संबल योजना' के संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया पर विचार, निर्णयार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैक्ल्टी के रूप में लेने के लिए 'विद्या संबल योजना' में उल्लेखित निर्देशों व प्रक्रिया पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। विद्या संबल योजना में उल्लेखित प्रक्रिया विश्वविद्यालय में लागू किया जाना संभव नहीं हैं परन्तु उक्त परिपत्र के बिन्दु सं 5 में उल्लेखित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्टिनक महाविद्यालय के लिए सहायक आचार्य पद के लिए प्रति घंटा मानदेय 800/– (अधिकतम मासिक मानदेय 45000/–) के आधार पर विश्वविद्यालय में आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय 500/– में वृद्धि कर 800/– (अधिकतम मासिक मानदेय 45000/–) करने की सर्वसम्मति से अनुशंषा की गई। साथ ही उक्त पत्र में उल्लेखित सह–आचार्य पद के लिए प्रति घंटा मानदेय 1000/– (अधिकतम मासिक मानदेय 52000/–) तथा आचार्य पद के लिए प्रति घंटा मानदेय 1200/– (अधिकतम मासिक मानदेय 60000/–) को भी विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 11	:	**NCC को प्रदेश की उच्च शिक्षा में वैकल्पिक (elective) विषय के रूप में प्रारंभ करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शिक्षा ग्रुप–4 विभाग, राजस्थान सरकार से दिनांक 17.06.2021 का प्राप्त पत्र विचारार्थ व निर्णयार्थ विद्या–परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	NCC को प्रदेश की उच्च शिक्षा में वैकल्पिक (elective) विषय के रूप में प्रारंभ करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उक्त विषय को Choice Based Credit System (CBCS) में open elective course के रूप में रखने की विद्या परिषद द्वारा अनुशंषा की गई।

मद संख्या 12	:	**विश्वविद्यालय में संचालित MCA तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को, AICTE द्वारा जारी गाइडलाईन के आधार पर द्विवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करने के आदेश को रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय में संचालित MCA तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को, AICTE द्वारा जारी गाइडलाईन के आधार पर द्विवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशों को पारित किया गया।
मद संख्या 13	:	**शोध–मण्डल की बैठक दिनांक 23.06.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	शोध–मण्डल की बैठक दिनांक 23.06.2021 के कार्यवाही विवरण को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। जो शोध सुपरवाइज़र विद्यार्थियों को शोध कराने के इच्छुक नही होते हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु शोध मण्डल की बैठक में विचार किए जाने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या 14	:	**सामाजिक विज्ञान विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा एम.एस.डब्ल्यू., एम.ए./एमएस.सी. भूगोल, एम.ए. लोक प्रशासन, एम.ए. अर्थशास्त्र, एम.ए. इतिहास, एम.ए. हेरिटेज, ट्यूरिज्म, म्यूजियोलोजी एण्ड आरक्योलॉजी में सत्र 2020–21 से प्रवेश हेतु सीटों की संख्या 40 से घटाकर 20 करने संबधी माननीय कुलपति महोदय के आदेशों को रिपोर्ट करने बाबत्।**
निर्णय	:	सामाजिक विज्ञान विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा–एम.एस.डब्ल्यू., एम.ए./एमएस.सी. भूगोल, एम.ए. लोक प्रशासन, एम.ए. अर्थशास्त्र, एम.ए. इतिहास, एम.ए. हेरिटेज, ट्यूरिज्म, म्यूजियोलोजी एण्ड आरक्योलॉजी में सत्र 2020–21 से प्रवेश हेतु सीटों की संख्या 40 से घटाकर 20 करने संबधी माननीय कुलपति महोदय के आदेशों को पारित किया गया।
मद संख्या 15	:	**वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2021–22 से 40 सीटों पर नए कोर्स एम.कॉम (व्यावसायिक प्रशासन) को प्रारंभ करने की माननीय कुलपति महोदय के आदेशों को रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	सत्र 2021–22 से विश्वविद्यालय परिसर में 40 सीटों पर नए कोर्स एम.कॉम –व्यावसायिक प्रशासन को प्रारंभ करने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशों को पारित किया गया।
मद संख्या 16	:	**कोटा विश्वविद्यालय के Intellectual Property Right cell (IPR Cell) व Department of Science & Technology (DST), Rajasthan के संयुक्त तत्वाधान में कोटा विश्वविद्यालय व सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में लागू करने के लिए बनी Intellectual Property Right Policy (IPR Policy) विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय व सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में लागू करने हेतु प्रस्तावित Intellectual Property Right Policy (IPR Policy) को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 17	:	**विश्वविद्यालय में MCA पाठ्यक्रम की 30 अतिरिक्त सीटों का सृजन कर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	RMCAAP द्वारा MCA में प्रवेश हेतु 60 सीटें निर्धारित है। अतः MCA पाठ्यक्रम के लिए पृथक से 30 सीटों पर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश न लेकर वरन् निर्धारित 60 सीटों में से 30 सीटों पर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति हेतु RMCAAP को पत्र प्रेषित किए जाने की अनुशंषा की गई। अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा भी विश्वविद्यालय में संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए भी यही समस्या बताई गई। इस पर विद्या परिषद द्वारा दोनों विभागों को संयुक्त रूप से RMCAAP से निर्धारित 60 सीटों में से 30 सीटों पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश देने की स्वीकृति चाहने बाबत पत्र RMCAAP को प्रेषित करने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या 18	:	**विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर साईंस विभाग में सीमित अवधि (Short Terms) पाठ्यक्रमों का संचालन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर साईंस विभाग में सीमित अवधि (Short Terms) पाठ्यक्रमों का संचालन किए जाने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया चूंकि प्रस्तावों में संलग्न सिलेबस पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए। अतः कम्प्यूटर साईंस की पाठयक्रम समिति के माध्यम से तैयार सिलेबस ही अध्ययन–अध्यापन हेतु लागू किये जाने की अनुशंषा की गई।
पू0 मद सं0 19.1	:	**सत्र 2020–21 के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) को प्रेषित की जाने वाली विश्वविद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता प्रतिवेदन (AQAR-Annual Quality Assurance Report) का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	सत्र 2020–21 के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) को प्रेषित की जाने वाली विश्वविद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता प्रतिवेदन (AQAR-Annual Quality Assurance Report) को अनुमोदित किया गया।
मद सं0 19.2	:	**विश्वविद्यालय परिसर व संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में Choice Based Credit System (CBCS) लागू करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना।**

निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर व संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 से Choice Based Credit System (CBCS) लागू करने तथा CBCS को लागू करने के लिए गठित समिति की Guideline/Course Structure इत्यादि प्रस्तावों को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया। महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के समान सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की अनुशंषा की गई। संयोजक, पाठ्यक्रम समिति–कम्प्यूटर साइंस व इंफोमेटिक्स ने सदन को MCA पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्रों की संख्या अधिक होने के कारण प्रस्तुत CBCS प्रणाली में संशोधन करने की आवश्यकता बताई, जिसका सदन ने उक्त पाठ्यक्रम हेतु संशोधन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।
मद सं0 19.3	:	**अन्य बिन्दु आसन की अनुमति से।** 1. आसन की अनुमति से, डॉ. रोशन भारती, संयोजक, पाठ्यक्रम निर्माण समिति, संगीत ने बैठक में माननीय सदस्यों को एम.ए. संगीत पाठ्यक्रम के वर्गीकरण–भारतीय संगीत (कंठ) व भारतीय संगीत (सितार) किए जाने की पाठ्यक्रम निर्माण समिति, संगीत की अनुशंषाओं से अवगत कराया। साथ ही उनके द्वारा दोनों पाठ्यक्रमों (कंठ व सितार) की पृथक–पृथक पाठ्यक्रम निर्माण समिति की आवश्यकता से अवगत कराया। चूंकि वर्तमान में संगीत विषय के नाम से पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठित है, अतः विद्या परिषद द्वारा उक्त समिति के स्थान पर भारतीय संगीत (कंठ) व भारतीय संगीत (सितार) की पृथक पृथक पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनाए जाने की अनुशंषा की गई। साथ ही संयोजक, पाठ्यक्रम निर्माण समिति –संगीत के द्वारा विद्यार्थियों को जारी की जाने वाली अंकतालिकाएं, उपाधियां आदि में तथा परीक्षा आवेदन फार्म के पोर्टल में भी भारतीय संगीत–कंठ अथवा भारतीय संगीत– सितार का उल्लेख छात्रहित में किए जाने का प्रस्ताव सदन में रखा जिसको सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि पूर्व में जारी अंकतालिकाओं, उपाधियों आदि दस्तावेजों में लागू न करते हुए आगामी सत्रों/वर्षों से लागू किया जावे। 2. डॉ. रोशन भारती, माननीय सदस्य द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि चूंकि कोटा में एक मात्र महाविद्यालय–राजकीय कन्या कला महाविद्यालय में संगीत विषय में एम.ए. संचालित है तथा कन्या महाविद्यालय होने के कारण छात्रों को राजकीय महाविद्यालय, बून्दी में प्रवेश लेना पड़ता है। अतः छात्रहित के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में एम.ए. संगीत को प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव डॉ. भारती द्वारा रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा शीघ्र ही पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक आयोजित कर सेमेस्टर प्रणाली में पाठ्यक्रम निर्मित कराने के निर्देश प्रदान किए गए।

		3. प्रो. आशुरानी, निदेशक, शोध द्वारा विश्वविद्यालय में शोध कार्य जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2021 को यू.जी.सी. के परिपत्र F.1-10/2020(CPP-II) दिनांक 01.12.2021 के अनुसार दिनांक 30.06.2022 तक करने का प्रस्ताव रखा जिसका सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। 4. विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी किन्हीं कारणों से प्रवेश शुल्क जमा करवाने के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेने तथा पूरी फीस वापसी हेतु आवेदन प्राप्त होने पर यू.जी.सी. के नियम पत्र दिनांक 16.07.2021 के अनुसार केवल शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु शुल्क लौटाए जाने का उल्लेख है, के आधार पर अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रस्तावों पर विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की वित्तीय समिति के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गई।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

सदस्य सचिव
विद्या–परिषद्